न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), कौशाम्बी।

उपस्थित- अभिषेक गुप्ता (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या :- 124 / 2017

सी.एन.आर. सं० UPKS060002872017

1. सुषमा देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी मूलचन्द्र
2. शिवलक्ष्मी उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्री मूलचन्द्र
3. श्रवण कुमार उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र मूलचन्द्र
4. सुजीत कुमार उम्र लगभग 14 वर्ष पुत्र मूलचन्द्र — नाबालिग
5. पिंकी देवी उम्र लगभग 15 वर्ष पुत्री मूलचन्द्र — संरक्षिका
6. डाली उम्र लगभग 12 वर्ष पुत्री मूलचन्द्र — माता सुषमा देवी
7. इंजन उम्र लगभग 11 वर्ष पुत्री मूलचन्द्र

समस्त निवासीगण ग्राम रतगहा, शेखपुर रसूलपुर मनौरी, तहसील -चायल, जनपद कौशाम्बी।

.....वादीगण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलेक्टर कौशाम्बी।
2. मूलचन्द्र वयस्क पुत्र शिवदयाल

निवासी ग्राम देवखरपुर कड़ा, तहसील- सिराथू जनपद कौशाम्बी।

..... प्रतिवादीगण

-:निर्णय:-

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 124 / 2017 सिविल मृत्यु घोषित किये जाने के बावत योजित किया गया है।

2. वादपत्र में किये गये अभिकथन संक्षेपतः इस प्रकार है कि वादिनी संख्या 1 के पति व 2 लगायत 7 के पिता मूलचन्द्र वर्मा फरवरी 2007 से घर में ड्यूटी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता स०म० खण्ड सं0-1 लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद बताकर गये थे और वापस नहीं लौटे तो वादिनी सं0-1 ने रिश्तेदारों के यहां स्वयं पता किया और पता जब नहीं चला तो उनके कार्यालय में पता किया व लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कार्यालय में दिया तथा थाना चरवा में गुमशुदगी की लिखित शिकायत प्रेषित की। वादिनी संख्या 1 के पति सन् 2007 से आज तक वापस नहीं आये और न ही उनका कहीं कोई पता चला न सुनाई पड़ा। वादीगण ने मूलचन्द्र को खोजने का काफी प्रयास किया तथा रिश्तेदारी व सन्तों के मन्दिरों में भी पता किया किन्तु वादीगण व गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी मूलचन्द्र के बारे में नहीं हुयी। मूलचन्द्र ने कभी कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया। मूलचन्द्र को लापता हुए 10 वर्ष का समय गुजर गया है, जिससे उनके जीवित रहने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती है। मूलचन्द्र

लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत थे और उनके वादीगण विधिक उत्तराधिकारी वादीगण है। वादीगण के जीविकोपार्जन का कोई साधन मूलचन्द्र की नौकरी के अतिरिक्त नहीं था, मूलचन्द्र को 6 सन्ताने वर्तमान समय में जीवित हैं, जिनके शिक्षा, दीक्षा खर्च खानगी के लिये वादिनी संख्या 1 को बहुत परेशानी हो रही है। वादिनी संख्या 1 ने जीविकोपार्जन हेतु सम्बन्धित विभाग को लिखित प्रत्यावेदन दिनांक 26.04.2007 से कई बार प्रेषित किया, जिसपर विभाग द्वारा विभिन्न तिथियों में बेलदार मूलचन्द्र को नोटिस एवं शिकायतों का निस्तारण किया, किन्तु आज तक मूलचन्द्र बेलदार के सम्बन्ध में कोई समुचित कार्यवाही की जानकारी नहीं हो सकी। वादिनी ने अपने पति मूलचन्द्र के गायब होने की सूचना दिनांक-31.08 2007 को व्यक्तिगत रूप से व जरिये रजिस्टर्ड डाक थाना चरवा व पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को भी प्रेषित किया है। अतः उपरोक्त अभिकथन के आधार पर जरिये न्यायालय डिक्री मूलचन्द्र पुत्र श्री शिवदयाल की सिविल मृत्यु घोषित किया जाये, जिससे मूलचन्द्र की सरकारी सेवा (बेलदार) एवं चल अचल सम्पत्ति के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोई विधिक अडचन न उत्पन्न हो व न्यायालय द्वारा मृतक मूलचन्द्र को अधिषाशी अभियंता स0 म0 खंड संख्या 1 लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद में अनुकंपा नियुक्ति एवं उनके परिवार मृत्युपूर्ण लाभांश प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किए जाये।

3. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित कथन 24 क / 1 से 24 क / 2 प्रस्तुत कर वादपत्र के कुछ तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये शेष तथ्यों से इन्कार किया गया है व संक्षेपतः कथन किया है कि वादिनी संख्या 1 के पति मूलचन्द्र पुत्र शिवदयाल जो ग्राम देवखरपुर, परगना-कडा, तहसील- सिराथू, जनपद-कौशाम्बी के निवासी थे, जो लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत थे, जो लगभग 10 वर्षों से लापता हैं, जैसा कि वादिनी के ग्रामवासियों से जानकारी हुई है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस जानकारी नहीं हो सकी है। इसलिए लापता मूलचन्द्र पुत्र शिवदयाल के बारे में जीवित या मृत्यु के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई उपधारणा किये जाने योग्य नही है। अतः वादीगण का सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

विवाद्यक

4. उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर दिनांक 01.12.2021को निम्नलिखित वाद-बिन्दु विरचित किये गये –

1. क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर मूलचन्द्र की सिविल मृत्यु घोषित करा पाने के अधिकारी है ?

2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

3. क्या दावा में वादीगण किसी अन्य अनुतोष पाने के अधिकारी है ?

5. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 8 ग थानाध्यक्ष चरवा को लिखे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 9 ग /1 ता 9 ग / 2 अधिशाषी अभियंता लोक नि0 विभाग खंड संख्या 1 इलाहाबाद को लिखे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 9 ग / 3 अधिशाषी अभियंता लोक नि0 विभाग खंड संख्या 1 इलाहाबाद द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 9 ग / 6 ता कागज संख्या 9 ग / 7, कागज संख्या 10 ग / 1 ता 10 ग / 3 राशन कार्ड की छायाप्रति, कागज संख्या 16 ग / 4 व 27 ग / 1 समाचार पत्र में कराये गये प्रकाशन की मूलप्रति व कागज संख्या 30 ग / 1 राशन कार्ड की मूल प्रति दाखिल की गई है।

6. वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पीo डब्लूo 1 सुषमा देवी, पीo डब्लूo 2 रंजीत कुमार व पी0 डब्लू0 3 श्रवण कुमार को परीक्षित कराया गया है।

07. प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि मौखिक साक्ष्य के रूप में रवी सिंह को प्रस्तुत किया गया है।

09. मैंने वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

-:निष्कर्ष:-

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1:-

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय के साथ विरचित किया गया है कि क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर मूलचन्द्र की सिविल मृत्यु घोषित करा पाने के अधिकारी है ?

उक्त वाद बिंदु को साबित किए जाने के अनुक्रम में वादीगण द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादिनी संख्या 1 के पति सन् 2007 से आज तक वापस नहीं आये और न ही उनका कहीं कोई पता चला न सुनाई पड़ा।

उपरोक्त के संबंध यह उल्लेखनीय है कि सिविल मृत्यु की घोषणा (Declaration of civil death) के संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 और 108 में निहित प्रावधान प्रासंगिक हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 में यह प्रावधान है कि-

> **107. उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है**— जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।
>
> **108. यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है**— परंतु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि

उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वभाविकतयः सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

उपरोक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **L.I.C. of India vs. Anuradha, AIR 2004 SC 2070,** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> *"...the law as to presumption of death remains somewhere in common law in England or in the statutory provisions contained in Sections 107 and 108 of the Indian Evidence Act, 1872 In the scheme of Evidence Act, though Sections 107 and 108 are drafted as two sections, in effect, Section 108 is an exception to the rule enacted in Section 107. The human life shown to be in existence, at a given point of time which according to Section 107 ought to be a point within 30 years calculated backwards from the date when the question arises, is presumed to continued to be living. The rule is subject to a proviso or exception as contained in Section 108. If the persons who would have naturally and in the ordinary course of human affairs heard of the person in question, have not so heard of him for seven years, the presumption raised under Section 107 ceases to operate. Section 107 has the effect of shifting the burden of proving that person is dead on him who affirms the fact. Section 108 subject to its applicability been attracted, has the effect of shifting the burden of proof back on the one who asserts the fact that person being alive."*

उपरोक्त विधिक प्रावधानों व विधि व्यवस्था के सादर आलोक में प्रस्तुत वाद के तथ्यों का विश्लेषण किया गया जिसमें वादीगण के पक्ष में डिक्री प्रदान करने के प्रयोजन के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है –

1. वाद का कारण।
2. सात वर्षों की समाप्ति।
3. ऐसा व्यक्ति हो जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना गया होता यदि वह जीवित होता।

इस संबंध में वादीगण के द्वारा वाद पत्र में लिखित तथ्यों का विश्लेषण किया गया जिसमें यह कथन किया गया है कि वादिनी संख्या 1 के पति व 2 लगायत 7 के पिता मूलचन्द्र वर्मा फरवरी 2007 से घर में ड्यूटी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता स०म० खण्ड सं0-1 लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद बताकर गये थे और वापस नहीं लौटे। इस संबंध में सर्वप्रथम दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है

जिसमें कागज संख्या 8 ग का अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादिनी संख्या 1 सुषमा देवी द्वारा दिनांक 31.08.2007 को संबंधित थाना चरवा में एक पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया है कि उसके पति ड्यूटी के लिए गए और तब से वापस नहीं लौटे है। इसी अनुक्रम में कागज संख्या 16 ग / 4 दैनिक समाचार पत्र आज दिनांकित 25.12.2011 का अवलोकन किया गया जिसमे वादिनी के पति श्री मूल चंद्र की सिविल मृत्यु घोषित कराये जाने के बावत प्रकाशित कराया गया है।

इसी अनुक्रम में मौखिक साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया जिसमे **पी0 डब्लू0 1** के रूप में रंजीत कुमार सोनी ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि-

> *" मूलचन्द्र मेरे जीजा जी है मूलचन्द्र कहा है मुझे जानकारी नहीं है। मूलचन्द्र 2006/07 से गायब है। उनकी आज तक कोई सूचना नहीं मिली है। इनके गायब होने की सूचना थाने पर दी गई थी। इनके मृतक होने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।"*

अग्रेतर, **पी0 डब्लू0 2** के रूप में सुषमा देवी ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि-

> *" मेरे पति घर से ड्यूटी गए थे और वही से लापता हो गए। सन 2006 में मेरे पति लापता हो गये। लापता होने की सूचना मैंने थाना चरवा में दिया है। पुलिस ने जांच पड़ताल किया पर कही भी पता नहीं चला। मेरे पति पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग में नौकरी करते थे।"*

अग्रेतर, **डी0 डब्लू0 1** रवी सिंह जो कि हल्का लेखपाल रतगहा शेखपुर रसूलपुर तहसील चायल जनपद कौशाम्बी में कार्यरत है, ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि-

> *" मैंने सुषमा देवी के पति मूलचन्द्र के गायब होने के संबंध में गाँव में पता किया है। मूलचन्द्र लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर तैनात थे लोगों से पता किया गया तो लोगों ने बताया कि मूलचन्द्र 8-10 साल पहले से गायब है। वादीगण 1 ता 7 मूलचन्द्र के पत्नी व बच्चे है। वादी मुकदमा के पति के गायब हो जाने के बाद वादीगण की भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है वादीगण के अलावा मूलचन्द्र के कोई और वारिस एवं उत्तराधिकारी होने की जानकारी नहीं है।"*

इस प्रकार उपरोक्त समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण जो कि कथित मृतक मूलचन्द्र के आश्रित है, के द्वारा मूलचन्द्र की सिविल मृत्यु घोषित किए जाने एवं अनुकंपा के आधार पर अनुतोष के बावत योजित किया गया है। इस संबंध में दाखिल कागज संख्या 10 ग / 1 ता 10 / 3 राशन कार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण कथित मृतक मूलचन्द्र के परिवारजन है। उपरोक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि सन 2006 से ही मूलचन्द्र लापता है जिसकी सूचना वादीगण द्वारा संबंधित थाने एवं उनके विभाग जहां मूलचन्द्र

तैनात थे वहाँ भी दी गई है। इस बावत वादीगण द्वारा संबंधित स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया है। कथित मृतक के लापता होने की सूचना दिए जाने के बाद से सात वर्ष से ज्यादा बीत चुके है। श्री मूलचन्द्र जिस विभाग में बेलदार के पद पर तैनात थे उस विभाग के द्वारा भी कई पत्राचार किये गये, जिससे यह प्रकट होता है कि श्री मूलचन्द्र उपरोक्त तिथि के बाद से अपने ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे है। न्यायालय द्वारा पुनः प्रकाशन दिनांकित 15.11.2022 कराये जाने के बावजूद मूलचन्द्र की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य / आधार प्रस्तुत है, जिससे मूलचन्द्र के जीवित होने की कोई भी संभावना प्रकट हो ।

इस प्रकार, कोई भी विपरीत साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत न किये जा सकने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 द्वारा वादीगण का भार समाप्त हो जाता है।

विधि व्यवस्था **Mrs. Vijaya Shrikant Revale vs. Shri Shirish Shrikant Revale & others First Appeal No. 1208 of 2015** माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि –

> *".....The status of the existence of the person who is not heard of for more than seven years is required to be fixed or to be declared for many practical purposes. Thus the issue cannot be kept in uncertainty and therefore under Sections 107 and 108 of the Evidence Act a way out is provided in the form of presumption of the fact. It is true that these are the rules of evidence. There may be a possibility of his return. However, law has considered period of seven years as sufficient for the missing person either to come back or to give details of his whereabouts to his near relatives to whom generally his whereabouts are to be known. It is a presumption and therefore it is rebuttable. After fifteen years a person may come back and he may claim his assets. This possibility cannot be over-ruled. However, the law cannot take into account each and every remote possibility which may be closer to impossibility. The general yardstick of reasonableness and a prudent man's thinking is applied while appreciating any fact. In such cases of missing persons, the reasonable period is therefore not less than seven years, which is supposed to be a considerably longer period to find out the missing person. In the event of return of such person, the law can take care of a situation if further proceedings are taken out by such person..."*

इसी अनुक्रम में विधि व्यवस्था **Alka Sharma Vs. Union Of India: Second appeal of 192/2007 ALLHC** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह अभिनिर्धारित किया है कि –

> *".....that submission of the final report by the police is not mandatory inasmuch as police investigation is in the domain of criminal law and that is neither influenced by the plaintiff claiming such declaration nor is within the authority and control of the plaintiff seeking such declaration. Once the factum of lodging a report and not hearing about that person for seven years or more is proved and admitted by the defendant employer of the husband in regard to whom declaration is being sought, is sufficient to hold that requirement of Section 108 of the Evidence Act has been fulfilled..."*

इस प्रकार, उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि वादीगण श्री मूलचन्द्र की सिविल मृत्यु घोषित करा पाने के अधिकारी है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 1 वादीगण के पक्ष में सकरात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

वाद बिन्दु संख्या 2 का निस्तारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 12.05.2022 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा श्री मूलचन्द्र की सिविल मृत्यु घोषित किये जाने के अनुतोष हेतु योजित किया गया है जिसके संबंध में वाद बिन्दु संख्या 1 वादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जा चुका है। वादीगण द्वारा यह अनुतोष की भी याचना की गई है कि मृतक मूलचन्द्र को अधिषाशी अभियंता स0 म0 खंड संख्या 1 लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद में अनुकंपा नियुक्ति एवं उनके परिवार मृत्युपूर्ण लाभांश प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किये जाये। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करके उन्हें मृतक मूलचन्द्र का प्रतिनिधि घोषित करके या अनुकंपा के

आधार पर उनकी उम्मीदवारी घोषित करके राज्य प्रशासन के संबंधित विभाग के अनन्य अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, इसलिए न्यायालय पर वर्तमान मुकदमे में कोई और अनुतोष देने का कोई दायित्व नहीं है। यद्यपि वादीगण के पास यह विकल्प है कि उपरोक्त वाद में डिक्री होने के पश्चात वादीगण के पति / पिता मूलचन्द्र के सिविल मृत्यु के कारण यदि कोई विधिक अधिकार उत्पन्न हुए है या उनके द्वारा कोई कानूनी चरित्र धारण किया जा सकता है, तो इस संबंध में वादीगण संबंधित विभाग इत्यादि में आवश्यक कार्यवाही कर सकते है। तदनुसार यह वाद बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

-:आदेश:-

वादीगण का वाद सव्यय आज्ञप्त किया जाता है। दिनांक 26.02.2007 से लापता होने के कारण श्री मूलचन्द्र पुत्र शिवदयाल को सिविल मृत्यु के आधार पर मृतक घोषित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 25.01.2023

अभिषेक गुप्ता
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)
कौशाम्बी।
J.O. CODE - UP3254

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 25.01.2023

Digitally signed by
Abhishek Gupta

अभिषेक गुप्ता
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)
कौशाम्बी।
J.O. CODE - UP3254